

फॉर्म 14

[नियम 77 (3) तथा 81 (2) देखें]

सरकारी कर्मिक/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र

1. (i) सरकारी कर्मचारी का नाम जिसके संबंध में पारिवारिक पेंशन का दावा किया जा रहा है
- (ii) कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जहां अंत में कार्य किया
- (iii) सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की तिथि
- (iv) सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि
- (v) सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का पी.पी.ओ. नं.

2. दावेदार का नाम तथा अन्य विवरण-

नाम	जन्मतिथि	मृत सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आवासीय पता

2. यदि दावेदार नाबालिग है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित है तो अभिभावक/नामांकित व्यक्ति का विवरण, जहां लागू हो-

नाम	जन्मतिथि	नाबालिग/मानसिक विकलांग दावेदार के साथ संबंध	मृत सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आवासीय पता

3. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की जीवित विधवा/विधुर, बच्चों, आश्रित माता-पिता तथा विकलांग भाई-बहनों का विवरण फॉर्म 3 में संलग्न है।
4. बैंक की शाखा का खाता नं., नाम एवं बी.एस.आर. कोड जिसमें पारिवारिक पेंशन का जमा की जानी है:
5. पारिवारिक पेंशन का अन्य स्रोत- सैन्य या राज्य सरकार तथा/या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय/केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत स्थानीय निधि, यदि कोई हो-

में जनता हूँ कि दावेदार/पारिवारिक पेंशनभोगी का भविष्य में अच्छा आचरण पारिवारिक पेंशन के प्रत्येक अनुदान और उसकी निरन्तरता के लिए एक अंतर्निहित शर्त होगी।

संलग्न: चेक लिस्ट के अनुसार।

दावेदार/अभिभावक का हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान

मोबाईल/टेलीफोन नं.....

आयकर हेतु पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पी.ए.एन.).....

आधार नं., यदि हो तो-.....

दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित;

(i)

(ii)

सूचना: यदि पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता है तो फॉर्म 14 नहीं भरना होगा। ऐसे मामले में, सामान्य आवेदन के आधार पर पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा पारिवारिक पेंशन की अनुमति जाएगी। स्थायी रूप से विकलांग बच्चे/भाई-बहन तथा आश्रित माता-पिता, जिनके लिए पेंशनभोगी के पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेंशन अधिकृत की गई है, इस फॉर्म को पेंशन वितरण प्राधिकरण को जमा करेंगे।